

MR. CHAIRMAN : I will consider it in due course. That is no reason for interrupting like this. If you have given a motion I will consider it.

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : I have given. कब कमिटर करेंगे ? कल करेंगे, आज करेंगे ?

श्री सभापति : जब मुझे मौका मिलेगा करूंगा ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : प्रिविलेज के सवाल को तत्काल करना चाहिए । हाऊस को सूचना देनी चाहिए ।

MR. CHAIRMAN : Do not teach me the practice. Please sit down. This is not the way. You should have come to my room. You should have told me about it. I could have discussed it with you. Now you are taking up the time of the House.

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : प्रिविलेज मोशन के बारे में तो तत्काल लिया जाना चाहिए । हाऊस के एक मेम्बर को अरेस्ट कर दें और उसके बारे में हाऊस को सूचना भी न दी जाए ।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का मवाल है ।

श्री सभापति : आपको मालूम है, फिर भी

श्री राजनारायण : हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हर जनतंत्री सभ्य संसदीय परम्परा में विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न सर्वोपरि आता है । इसलिए "मेन पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस" में आप देखेंगे श्रीमन्, कि उसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी में—"Earliest opportunity should be availed." विशेषाधिकार संबंधित प्रश्न पर तत्काल विचार कर दें । टेक्निकल ग्राउण्ड पर उसको . .

श्री सभापति : वह मेम्बर्स के लिए है, चेयर के लिए नहीं है कि चेयर भी फौरन उसी समय तय कर दे ।

श्री राजनारायण : आपका दिमाग तो कानूनी है । इसलिए मैं आपसे अजें कर रहा हूं, जब मेम्बर्स से यह शर्त है कि वह एलियेस्ट अपार्चुनिटी अवेल करे । क्यों है ? इसलिए कि चेयर उसको तत्काल महत्व का समझकर अनुमति दे ।

श्री सभापति : मैंने सुन ली आपकी बात । Now please do not take up the time of the House.

श्री राजनारायण : टाइम हम ले रहे हैं । यह टाइम वह व्यवस्था ले रही है ।

श्री सभापति : आप मुझसे चैम्बर में बात कर सकते हैं वह बेहतर होता ।

श्री राजनारायण : चैम्बर में बात करनेसे मैं बराबर इन्कार करता हूँ । सवाल हाऊस का है । सदन के सदस्य से संबंधित सवाल है ।

MR. CHAIRMAN : Do not take up the time of the House. Mr. Harsh Deo Malaviya.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Production and distribution of Adulterated Drugs and Pharmaceuticals

SHRI HARSH DEO MALAVIYA (Uttar Pradesh) : I call the attention of the Minister of Health and Family Planning to the serious situation arising out of the production and distribution of adulterated drugs and pharmaceuticals, particularly glucose, resulting in the death of a number of persons in the country and the steps taken by the Government to prevent such occurrences.

[The Vice-Chairman (Shrimati Purabi Mukhopadhyay) in the Chair]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. KARAN SINGH): Madam Vice-Chairman, the death of 22 persons in a Kanpur hospital as a result of administration of glucose injection was a grim tragedy. According to investigations made so far, the 5 per cent glucose solution is reported to have been manufactured by Messrs B.J. Pharma, Kanpur. The U. P. Government took immediate steps to seal the premises of the said firm. Two proprietors of this firm have been arrested, and three more persons are reported to be absconding. The State Drugs Controller, the former Assistant Drugs Controller, the Senior Drugs Inspector of the region and the Drugs Inspector, Kanpur, have been suspended. The Superintendent of the Hospital has been sent on leave pending investigations. Stocks of the incriminating drug with the hospital and the distributors have been frozen. Samples of the glucose solution and the glucose substance involved have been sent to the Central Drugs Laboratory, Calcutta, for test. Officers of the Central Drugs Standard Control Organisation who rushed to Kanpur have carried out inspection of the manufacturers of transfusion solution,

[Dr. Karan Singh]

and have submitted their recommendations to the U.P. Government for cancellation or suspension of manufacturing licences wherever deficiencies have been noticed.

One case of serious side reactions resulting from the administration of glucose solution manufactured by Messrs Drug Corporation, Kanpur, occurred in Safdarjang Hospital. Samples from these batches have been taken and sent for tests to the Central Drugs Laboratory, Calcutta. As a measure of precaution the use of glucose solution manufactured by this Kanpur firm has also been suspended by the Hospital. Immediately after this incident all the other Delhi hospitals were alerted in regard to the use of glucose solution manufactured by any of the Kanpur firms. In pursuance of this, the stocks of glucose solution manufactured by such Kanpur firms have been frozen and samples have also been sent for analysis. In addition, all the States have been alerted regarding the use of such glucose solution, particularly the specific products of Messrs B.J. Pharma, Kanpur.

The spurious drug racket evidently has wide spread ramifications. I have written to the State Health Ministers advising them to strengthen their Drug Control Administration and to tighten enforcement procedures. This matter was considered by the Central Council of Health which met recently in Delhi and was attended by the Health Ministers from all States and Union Territories. A very serious view of the problem was taken and it was decided that concerted and co-ordinated efforts should be made to fight the menace of adulterated drugs on a national scale. The Central Government has placed testing and training facilities available with them at the disposal of the States. Provision has been made in the Fifth Plan for extending financial assistance to the States for the establishment of combined food and drug laboratories.

Government intends to bring forward an amendment to the Drugs and Cosmetics Act, inter-alia, making the penalties for such adulteration activities more stringent than they are at present. These crimes against society need to be punished severely. It is also necessary to create greater public awareness about this evil and to elicit widespread public co-operation through Citizens Councils, Consumer Councils etc. Hon'ble Members can also play

a valuable role in mobilizing public opinion in this regard.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: Madam the tragic death of 22 persons at Kanpur because of the glucose injection has shocked the whole nation. We certainly very warmly commend the energetic steps taken by the Bahuguna Ministry and the Health Minister, Mr. Saligram Jaiswal, against the erring persons, as has been detailed by the hon. Minister. But the Kanpur tragedy is not an isolated case. Cases of drug adulteration and deaths have been coming to us off and on. I will take the liberty of quoting just a few instances. Madam, some time ago as many as 50 children died in Moga, Punjab, after they were given an adulterated drug. According to the doctors' report, all died of strychnine poisoning, a drug used to kill rats. Recently many deaths occurred in Tamil Nadu, Punjab and other parts of the country owing to contaminated drugs.

Adulterated sulphadiazine and enteromycin capsules were seized by the drug inspectors. According to a report there are very few drug inspectors in northern India. Recently the Consumer Council of India made a survey and this survey revealed that codopyrin is spelt as codo-pirin. This contained nothing but aspirin and chalk powder. Chalk creates stones in kidneys and aspirin alone if used causes heart trouble. The label, the packing and the colour of the aspirin are exactly similar to the packing of the original aspro, but the contents are only aspirin which causes low blood pressure. If one takes six tablets at a time, the heart might sink and it may also cause death, according to certain experts. Then there is another drug, analgin. But in the adulterated drug it is mentioned as analin. Here the letter 'g' is missing but it goes unnoticed by the purchaser. The tablet is meant for rheumatic pain. This is an artificial drug and contains only aspirin and it is manufactured in Delhi and sold in the States. This is a very serious situation. Today in the Herald we have seen a report which might have been seen also by the honourable Minister, that the spurious drugs trade in Delhi as in other parts of the country has reached alarming proportions. The mushroom growth of unlicensed manufacturers of drugs has outwitted the slender staff of the Delhi Drug Controller's Office. Recently half a dozen such manufacturers were hauled up. But how many more are there is not known.

And sometimes, it is reported, clean tap water instead of gripe water is used. Instead of gripe water they are using clean tap water...

SHRI D. D. PURI (Haryana) : Not even clean.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : Once spurious drugs reach the hospital, their detection becomes difficult. The hospitals have no system except the naked eye in the case of liquid and crude ones. There are many other such reports. I will not take more time of the House. What I would like to point out is that this is a very serious situation. I very much appreciate what the honourable Minister has stated. It must be noted with regret that this problem, of adulterated drugs has been coming before us since a long time—this is not the first time—and there have been many instances. What has been done in such cases ? I would like to know these points : Will the honourable Minister consider the appointment of a high-powered committee to go into the question of the entire drug industry of India ? Will he agree—he says more stringent punishment will be given—to introduce capital punishment for drug adulterators because this is nothing short of murder ? Thirdly, will the State take over the manufacture of all antibiotics, multi-vitamin capsules and tablets of common use to ensure supply of drugs to hospitals ? Every batch of drugs supplied in bulk to Government hospitals should be tested and should be served only after the analysis report says that it is okay. This is a system which should be introduced. What is the system of purchasing drugs by the Government ? Will the honourable Minister agree to open a standards institute for drugs ?

Then, I would also like, in this connection, to bring to the notice of the honourable Minister and of the august House something about the foreign drug companies in our country. There are about 38 foreign drug companies functioning in our country and they produce about 45 per cent of the entire drug production. They are generally multi-national companies. I am mentioning the following for the information of the House.

Recently the British Monopolies Commission published a report indicting a drug firm for over charging the national health service to the tune of £24 millions. The indicted firm is Hoffmann La Roche of Basle in Switzerland.

It is supposed to be the world's largest pharmaceutical manufacturers. This Hoffmann La Roche has two Indian subsidiaries operating here. They are Roche Products India and Anglo French Drug Company (Eastern). Both are located at the same address. I think Roche Products India is well known for their saridon and Seroline. Both these drugs are household names. The amount of money they take out of the country is really enormous. There was recently an international seminar on technology transfer held in December 1972 at Delhi. The Roche Products India submitted a paper on foreign technology in Indian pharmaceutical industry. I have tried to get this paper. But I could not get it. This paper, I am told, is reflecting upon the investment of foreign drugs capital in India. I believe the hon. Minister will take steps to enquire into this.

Further more, the Tariff Commission, while engaged in fair price fixation of 18 essential drugs have not gone into the aspect of transfer price fixation on intermediates imported. Our Tariff Commission is also somehow influenced by the export prices which the foreign multinationals dictate to India.

These are very serious problems. Now we get also tranquillised. These tranquilizers are the bane of American society. And these foreign firms have introduced transanquilizers here also. There also, we are told that there is lot of adulteration. This is a serious situation. I would like the hon. Minister to answer all the points I have raised because this is a very serious matter causing death to innocent people. All sections of the House are concerned and we shall be one with the Minister if he takes deterrent action, including capital punishment, against the offenders.

DR. KARAN SINGH : I entirely agree with the hon. Member when he says that this is not only a very serious matter, but it is a really grave, national problem that we are facing. Unfortunately, adulteration—whether it is in food-stuff or drugs—is showing a steady upward rise. I do not know whether this is symbolic of the general deterioration of our moral and ethical standards. I am not in a position to say that. But it is certainly true that we have got to take steps of combat this evil. There are three types of steps.

One is the question of legislation. At present the legislation is the Drugs and Cosmetics Act

[Dr. Karan Singh]

passed by the Parliament. According to this act, the maximum penalty that can be given for adulteration is 10 years imprisonment. We are now amending not only the Prevention of Food Adulteration Act, but also this Act. I am not able to say at this moment as to what we will do. But our own mind is tending to award at least life imprisonment for such crimes that really affect the life and well being of the society...

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): West Bengal Government has sent a Bill for the President's assent.

DR. KARAN SINGH : That is being cleared.

SHRI BHUPESH GUPTA : It has received his assent ? When ? Even last week...

DR. KARAN SINGH : It is being cleared.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : How many have been sentenced to tens' years imprisonment ?

DR. KARAN SINGH : I will come to that. Hon. Members will be interested in what I am going to say...

SHRI BHUPESH GUPTA : Did you say that assent has been given ?

DR. KARAN SINGH : It is being cleared.

Speaking about legislation, we have to increase the penalty.

The second aspect is the administration of this Act and the launching of prosecutions under this Act. Now, I have personally appealed to all the Health Ministers of the States when they had gathered here earlier this month and I have personally appealed to them and I have also written to them to see that this Act is enforced properly.

The third aspect is organisational. Unless we set up proper drug inspectorates in these States it will never be possible to catch these people. Unfortunately, in many States, the drug inspectorates select people who are not experts with regard to the drugs as a result of which they are not able to deal with this problem.

SHRI M. P. SHUKLA (Uttar Pradesh) : Not honest also ?

AN HON. MEMBER : They are corrupt.

DR. KARAN SINGH : I have urged upon the State Governments not only to get the technical people for this purpose, but also to strengthen their organisation properly and to have an intelligence-cum-legal wing so that the whole matter can be properly dealt with. The present situation, Madam, I must admit, is very unsatisfactory.

The fourth aspect of the problem is educating the public opinion in general so that the people do not self-prescribe and they do not buy drugs without looking at the expiry date and do not try and buy drugs which are sold by some shops at a cheaper price. There are a number of points which we have publicized and which the general public also has to keep in mind. So, it is a combination of legislative organisation and education on a national scale which alone can help us meet this problem and this is a serious problem that has arisen. Now, Madam, the honourable Member mentioned about...

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : What about imposing capital punishment.

DR. KARAN SINGH : I have said that life imprisonment is being considered for this purpose.

Madam, the other question that has been raised is about the procedures of purchase. At present for the Delhi hospitals there is a high-powered Committee under the DGS&D on which the Drugs Controller and various other people are there. And, Madam, there is this question of tendering. Here again it is a very ticklish question. If you go only by the lowest tender, then sometimes there is the danger of getting sub-standard drugs. If you do not go by the lowest tender or do not go by tenders at all, then one is always open to the charge that there is something in it. What I am trying to do now is to review the entire question of the purchase of drugs for at least the Government of India hospitals, to set up a committee to see that while on the one hand we go by some kind of tendering, on the other hand there is no difficulty as I mentioned. Now, some of the small-scale industries are able to tender lower and they do not have the requisite quality and they do not have the requisite equipment as a result of which sub-standard drugs come in here.

Now, Madam, the question with regard to the production of drugs in the public sector and the whole question of the foreign drug companies come, strangely enough, under the purview of the Ministry of Petroleum & Chemicals and we in the Ministry of Health are the consumers. But the IDPL, which is the major public sector producer of drugs, and the whole issue of the foreign drug companies come under the Ministry of Petroleum & Chemicals and any clarifications or questions that the honourable Member may have can be directed to that Ministry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : I would now call Shri Sakhlecha.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : What about the Standard Institute of Drugs ?

DR. KARAN SINGH : I do not quite understand what it means. But I can say that we have the Central Drugs Laboratory in Calcutta and that is the appellate authority under the law and that really is ours and we have got one drug laboratory in Ghaziabad also. So the technical facilities are there. But the only thing is that they must be fully utilised and we must ensure on a national scale that these sub-standard drugs do not find their way into the market.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : I would call Mr. Sakhlecha now. I would appeal to the Members to make their points briefly so that I can call many more Members.

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, जैसा कि मंत्री जी ने अपने ब्यान के अन्दर अभी बताया कि यह जो लाला लाजपत राय हास्पिटल के अन्दर दुर्घटना हुई तो उसके पहले 9 तारीख को भी इसी प्रकार की ग्लूकोज के कारण हास्पिटल में पेशेंट की हालत खराब हुई, यह रिपोर्ट की गई। क्या यह बात सही है कि 18 तारीख की घटना, 17 तारीख की घटना जो प्रकाश में आई, वह एक अधिकारी को जब इस प्रकार का ग्लूकोज एडमिनिस्टर किया गया और उनकी हालत खराब होने लगी तब जाकर यह घटना सामने आयी और जब कि 9 तारीख को ही इस ग्लूकोज के एडमिनिस्टर करने के कारण कई पेशेंटों की हालत खराब हो गई थी, दर्दनाक हालत हो गई थी ? इसके बाद दूसरा प्रश्न यह है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं अनेक प्रदेशों से भी इस प्रकार की रिपोर्ट आई हैं— मध्य प्रदेश में जबलपुर के अन्दर दुर्घटना हुई, इन्दौर, रतलाम की एक फर्म से एम० एल० ए० का संबंध था। उसका

सामला पकड़ा गया। विभिन्न स्टेट्स से इस प्रकार की रिपोर्ट आती रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सैन्ट्रल लैबल पर, जैसा कि अपने रिफरेंस में कहा है कि इंडियन ड्रग एंड कासमेटिक्स ऐक्ट 1940 के अन्तर्गत सेक्शन 4 के अन्दर, सेक्शन 5 के अन्दर और सेक्शन 7 के अन्दर प्राविजन्स है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी और ड्रग टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी का तो क्या टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी ने इसकी जांच नहीं की ? जो ड्रग मैनूफैक्चर होता है क्या आप यह कम्प्लेशन नहीं कर सकते कि सैन्ट्रल ड्रग लैबोरेटरी में उसकी जांच की जाये तभी वह सप्लाई किया जाये। उसके अलावा आप डाइरेक्टली होस्पिटल से मगवाकर भी जांच कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रसेस आपने ईवाल्ड किया है है या नहीं किया है ? एक बात की ओर मैं खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अन्दर पहले बी० एन० चटर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी को जांच करने के लिए कहा गया था। जांच करने के बाद उस कमेटी ने उत्तर प्रदेश के बारे में ही नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात की फर्म के बारे में भी जांच करके अपनी रिपोर्ट में यह बात बताई कि कोई एक भी कम्पनी स्टैंडर्ड ड्रग्स नहीं बना रही।

"To find out whether the drug units were maintaining the standards required of them, the Committee which visited parts of not only U.P., but also Maharashtra and Gujarat, reported that not a single pharmaceutical firm in their State was maintaining the standards required in respect of manufacture of sophisticated drugs."

मैं यह जानना चाहता हूँ कि चटर्जी की रिपोर्ट आने के बाद और यह कहने के बाद कि एक भी फर्म ठीक से दवाइयां नहीं बना रही आपने क्या कदम उठाए ? ग्लूकोज बनाने वाली फर्म सब से ज्यादा कानपुर के अन्दर हैं, करीब 70। चटर्जी की रिपोर्ट आने के बाद उनके लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किए गए ? उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

डा० कर्णसिंह : यह कब की रिपोर्ट थी ?

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा : यह रिपोर्ट 3 साल पहले की है। एक्ट में सारे प्रावधान होने के बाद, तीन साल पहले यह रिपोर्ट आने के बाद, सैन्ट्रल ड्रग लैबोरेटरी है, ड्रग टेक्नीकल एडवाइजरी बोर्ड है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, सारी मशीनरी होने के बाद क्यों नहीं रोक पाते ? जैसे श्री मालवीय जी ने कहा, मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ मध्य प्रदेश के अन्दर एक ड्रग इस्पाक्टर गैब्रियल नाम का था, उसकी तनख्वाह 800-1000 रुपये होगी। He was maintaining the standard of spending Rs. 5000/-

[श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा]

per month. इसलिए यह सब गड़बड़ होती है। इन फर्म्स से ड्रग इम्पेक्टर्स मिले रहते हैं। होस्पिटल्स में जो दवाएँ सप्लाई होती हैं वहाँ पर सम्बन्ध और प्रेशर काम करते हैं। कानपुर की उस फर्म से केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री जी का संबंध है इस कारण इस तरह का काम चल रहा है। इस लेवल पर करणान होता है सप्लाई के अन्दर। प्राइवेट ब्लड बैंक खुले हुए हैं कानपुर के अन्दर, यह रिपोर्ट है। कानपुर के होस्पिटल्स के आसपास प्राइवेट ब्लड बैंक खुले हुए हैं जहाँ से गलत ढंग का ब्लड सप्लाई होता है। जब तक एफेक्टिव मशीनरी नहीं होगी आप इसको रोक नहीं सकते। ड्रग इम्पेक्टर्स बढ़ाने का मुद्दा है। स्टेट्स को देखना होगा कि वे अपनी इम्पेक्टोरेट्स को बढ़ाएँ, लेकिन जब तक ईमानदार आदमी नहीं होंगे, लैबोरेटरी नहीं होगी, ठीक से जांच नहीं हो सकती। मेरा मुद्दा है कि हर फर्म को लाइसेंस देने से पहले सेन्ट्रल ड्रग लैबोरेटरी में उसके स्पेसीमेन की जांच की जाए। जब सैटिस्फाई हो जाएँ तब उन्हें ड्रग सप्लाई करने दें। तब कही स्यूरियस ड्रग्स की रोकथाम हो सकती है। इस तरह का प्रावधान आग करें ताकि इस सब की पूरी जांच हो सके।

डा० कर्ण सिंह : महोदया, माननीय सदस्य ने कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं। प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जहाँ तक सम्भव हो सके हमारी यही कोशिश रहेगी कि इन चीजों को रोका जाए।

इन्होंने ठीक ही कहा, इन ड्रग्स में मुनाफा बहुत होता है। अगर सबस्टेंडर्ड ड्रग्स बिक जायें तो बहुत काफी माजिन रहता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे ऐसे देशवासी हैं जो लोगों की सेहत और जिवन्दी के साथ खेलने में बुरा नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि देश का यह दुर्भाग्य है कि लोगों में इतनी देशभक्ति नहीं है कि लोग उनके कार्य से मर रहे हैं। जो 20-22 व्यक्ति मरे वे निर्दोष व्यक्ति थे। उनमें से एक का नया विवाह हुआ था, एक बच्चा था। ऐसा करने वाले व्यक्ति किस लोक में जाएँगे, उनका क्या हश्र होगा, यह कहना बड़ा कठिन है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि इस किस्म के लोग हमारे देश में हैं, मुझे आसू आ गए। एक व्यक्ति जाता है अपना इलाज करवाने के लिए और उल्टे ऐसे देशद्रोही लोगों के कारण उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इससे बड़ कर कोई दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हम तो अपनी ओर से जो भी सम्भव हो सकता है करेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, एक्ट के तहत हमारा ड्रग टैक्निकल एडवाइज़री बोर्ड है, लेकिन मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं बिल्कुल गन्तुष्ट नहीं हूँ, इस एक्ट के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन है

उससे। मैं जांच कर रहा हूँ, स्टेट्स की ओर से और अपनी तरफ से जो करना है वे कदम भी हम अवश्य उठाएंगे।

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा : जो एक्ट मैं प्रावधान है वे भी पूरे नहीं होते।

डा० कर्ण सिंह : आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मारा सेन्ट्रल स्टाफ है उसमें एक ड्रग कंट्रोलर है, 4 जोनल आफ़ीसर्स हैं, 4 स्पॉट आफ़ीसर्स हैं, 4 और हैं, कुल 13 आफ़ीसर्स काश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राज्य सरकारों का इसमें सीधा दायित्व है, वे अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करें...

श्री श्याम लाल गुप्त (बिहार) : राज्य सरकारें भी तो कांग्रेस की ही हैं।

डा० कर्ण सिंह : यह पार्टी का प्रश्न नहीं है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इसमें पार्टी का प्रश्न न लाएं। इसमें कांग्रेसी भी जा सकता है, जनसंघी भी जा सकता है, दूसरे भी जा सकते हैं, जान सबको प्यारी होती है और इसलिए इसमें दल नीति न लाएं। हमें इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। हम अपनी ओर से उठा रहे हैं। उनर प्रदेश सरकार ने कुछ कदम लिए हैं। मैं चाहूँगा कि सभी राज्य सरकारें कंट्रोल से थोर कदम उठाए तब जाकर यह चीज दूर हो सकती है।

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा : मैंने दो प्रश्न उठाए। अप्रैल 9 की घटना आपको मालूम नहीं हुई।

डा० कर्ण सिंह : जी नहीं।

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा : चटर्जी की रिपोर्ट देखी आपने ?

डा० कर्ण सिंह : वह मैं मंगवा कर देखूँगा।

SHRI P. K. KUNJACHEN (Kerala) : The Minister has stated that the supplies of drugs are playing with the lives of the people. It is a question of enormous significance. He stated about the remedy also. We are discussing this thing when 22 people have already died. This is a thing which is occurring year after year. It is increasing not only in the field of supply of spurious drugs but in all the fields. There is adulteration in foodstuffs and edible oils and this adulteration is increasing day by day. So, some serious steps must be taken by the Government to find out the remedy. I suggest that a high-powered committee must be appointed to go into the question very seriously and whatever can be done must be suggested by them. Before their report, something else should be done. In the field of preparation of these medicines, foreign firms and companies are operating in India and they are earning enormous profits. Why can't the Government

nationalise these companies ? The Government must consider it very seriously. The black marketeers and traders are also entering this trade of manufacturing medicines and they are earning enormous profits. At the same time, at the request of these persons, the Government is prepared to increase the value of the medicines. This thing should be considered very seriously and strict control must be enforced.

Similarly, the giving of licences etc. for the manufacture of medicines should be controlled. Even though the Minister has stated that party matters must not be brought into the picture, I am sorry to state that influential persons and Ministers are exerting influence to get licences for certain persons.

And after getting the licence, they are manufacturing spurious drugs and substandard medicines and supplying them to the Government. And also, for receiving these medicines by the Medical Department, influence is being exerted by these people. So, that must be prevented. And I want to know what steps the Government is going to take in this regard.

Madam, my hon. friend, Mr. Malaviya has suggested capital punishment. The Drug Control Act, the Prevention of Adulteration Act, etc. must be amended and capital punishment must be awarded to these people. The Minister has only considered giving life-term punishment. That is not enough. Capital punishment is needed and the Government must seriously think of that.

Madam, the drugs control administration must be strengthened. It must be strengthened in the States also. It is not the question of Uttar Pradesh or a particular State. It is an all-India affair. So serious steps must be taken for strengthening this administration. There also, when they take up certain cases, not only the Government but also highly placed persons interfere in the day-to-day administration and some cases are not booked, some cases are withdrawn, and all sorts of influences are exerted. And that must be stopped. The administration must be given free hand to book the culprits. Action should be taken in this regard also. With these words, I conclude, Madam.

DR. KARAN SINGH : Madam, with regard to the amendment of the Act, naturally it will come here before the House and when

we bring it, the hon. Members will have full opportunity to express their views with regard to the various provisions.

With regard to the suggestion for a high-powered committee, the Ministry of Petroleum and Chemicals have already constituted a Committee and several Members of Parliament are included in it. I think the Chairman of that Committee is Shri Jaishuklal Hathi, who was a Member of this hon. House. Among other things this Committee will enquire into the quality control measures operating in the country in relation to drugs. Madam, I do not really think it necessary to have yet another committee. I do not rule it out. If necessary, we will have a committee. But what needs to be done is well known. What is required to do is to get the financial resources, to get the administrative dynamism to involve the States and do what is necessary rather than simply setting up another committee. If necessary, we will have it. We will not rule it out.

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala) : They do not have funds. The Ministry is starved of resources....

(Interruption)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Dr. Kurian, you did not take my permission before you got up. Please sit down.

DR. KARAN SINGH : May I reply

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : You need not reply.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Bihar) : Madam, the hon. Minister has stated that drugs adulteration has wide ramifications not only national but international also unfortunately, 50 per cent of drugs in India are manufactured by foreign companies or their subsidiaries. And whenever the matter has been raised in this House that these foreign companies should be nationalised, the argument from the Government is that they are essential from the point of view of technical know-how. Together with the technical know-how we are also learning the techniques of adulteration from these foreign companies. Unfortunately, we do not have any agency to study them. But some agency in the United States by the name of C.E.P.— the Council

[Shri Yogendra Sharma]

for Economic Priorities have—made a thorough study. This Agency has brought out a pamphlet entitled, "In Whose Hands?" In this study, it has been said that 16 major pharmaceutical manufacturers market a large number of potentially ineffective and harmful drugs. And the companies have been named in this pamphlet. Some of those companies have their subsidiaries here and their products, we use.

What are the manufactures of these companies? Madam, there is one company, called Abbot Laboratories. In 38 cases the drugs of Abbot Laboratories were found to be sub-standard and this company was made to recall those drugs. There were 38 recalls in seven years. But, this study says that this is an under-statement as it is stated that in 1971 there was a recall of 93 different products. While another involved recall of 25 different products. This is about one manufacture company only. Madam, there is another company called Pfizer. This is an American company. There are so many companies—16 companies. Then, it has been said that 15 per cent of all drugs were found to be not useful, ineffective and also adulterated. Now, these drugs we daily use in our country. Unfortunately, there is no study. Only this Kanpur thing has exposed the whole matter. We do not know how many thousands and lakhs people are dying and falling victims to slow death because of the use of these drugs. So, my request and my suggestion is that in the name of latest technique and know-how do not import also the technique of adulteration which our Indian manufacturers are learning.

Madam, one of the ways of preventing this import is that these foreign companies should be nationalised. Secondly, a suggestion has been made that a high power national commission should be set up to study these things and suggest remedial measures.

DR. KARAN SINGH : Madam, both these are suggestions for action. I would only say that adulteration is highly nefarious. It does not matter who does it—whether it is the foreign company or the Indian company. Adulteration is a criminal act and wherever it is found it should be treated as such.

SHRI YOGENDRA SHARMA : Together with the know-how, they are also learning the technique of adulteration.

DR. KARAN SINGH : Whether they are learning or not is a matter on which I would not hazard an opinion.

This particular study has not come to my notice. I will go through it. If you give me the reference, I will get it.

But, this question of drug manufacturing in the public sector, in the national sector and foreign drug manufacturing is something which is, as I have stated before, being handled by the Ministry of Petroleum and Chemicals. Many factors have got to be kept in mind before a decision on this is taken.

In the limited context I would only say that all these companies, whether Indian or foreign, must maintain certain standards and if they do not maintain those standards action has got to be taken against them regardless of who manufactures them.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : अधिष्ठात्री महोदया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी मासूमि के साथ जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ जो आज कानूनी व्यवस्था है उस से मुझे इस बात की खुशी है अगर श्रीमान् यह गवर्नमेंट की कान्ट्रिब्यूट्री की बात होती है, किसी मिनिस्टर की व्यक्तिगत बात नहीं होती है। आज के पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे क्या वह इस व्यवस्था से संतुष्ट थे? नम्बर एक। नम्बर दो यह कि क्या आप को 22 आदमियों की जो डेथ हुई कानपुर में उस का इंजारे था? उसके बाद आप ने फैसला किया कि हम इस कानून को चेज करेंगे। श्रीमती जी, मुझे याद है कि विशम्भर दयाल जी त्रिपाठी हमारे एम० पी० थे, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे उन्नाव के, उन की डेथ हुई थी इसी बात से कि उन को जो पेंसिलीन का इंजेक्शन दिया गया था वह सब-स्टैंडर्ड था। इम्प्लीडियेटली उन की डेथ हो गयी थी।

इस तरह की कई मौतें हुईं, पंजाब में, सब जगहों में हुईं, अभी तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस ड्रग एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की, यह मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत 10 साल की सजा है, मैग्जिमम। अब वह उनके हिसाब से काफी नहीं है एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ, इस एक्ट के अंतर्गत कितने लोगों को 10 साल की मैग्जिमम पेंसिलेन अब तक दी गई?

डा० जेड० ए० अहमद (उत्तर प्रदेश) : 2 साल तक की है, छः महीने की भी है।

श्री नवल किशोर यह जैमा डा० अहमद कह रहे हैं, 2 साल की मजा कितनी को दी गई ? मुझे शिकायत इस बान की है आप किसी भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं ।

दूसरी बात यह है कि यह जो पोलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है एडल्ट्रेट्स को इसकी दवा क्या है । मैं इतिहास करता हूँ इस बात से कि यह कोई पार्टी इश्यू नहीं है । आपको यह बान सुन कर महोदया, तकलीफ होगी कि पिछले साल बीकानेर में मास स्कूल पर मस्टर्ड्स आइल एडल्ट्रेट करते हुए पकड़ा गया 2 व्यापारियों के यहाँ । उसमें से एक व्यापारी को प्रेसीडेंट्स शील्ड पेश किया गया है पिछले साल दिल्ली के अन्दर इस बात के लिए कि वह ईमानदारी से व्यापार करते हैं । इससे ज्यादा मखौल और मजाक क्या हो सकता है । मैं आपसे यह दख्खानि करना चाहता हूँ कि जहाँ तक माननीय कर्ण सिंह जी का संबंध है, मुझे उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, वे बड़े सुंदर व्यक्ति हैं । लेकिन मवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे यह जो पोलिटिकल पैट्रोजेज है, इसका आपको पास क्या दवा है । मुझको याद है कि एक बार श्रीमती चुडावन ने इसी सम्बन्ध में स्पीच दी थी तब उन्होंने कहा था कि अगर देश के अन्दर आज कोई जहर खाना चाहे तो उसको शुद्ध जहर भी नहीं मिल सकता है । आज यह स्थिति हो गई है ।

यह बात सही है, जैसा आपने कहा, कि स्टेट के अंदर इन्स्पेक्टोरेट में टेक्निकल आदमी नहीं है । मैं अब से कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि टेक्निकल आदमी न हों मगर यह एक टेक्निकल जवाब होगा । इससे बड़ी बात यह है कि वह ईमानदार आदमी भी नहीं है, वे भ्रष्टाचारी हैं और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है हर जगह जिसकी वजह से चाहे आप कोई भी आर्गनाइजेशन बना दें, काम नहीं बनेगा । टेक्निकल से भी ज्यादा इम्पार्टेंट है इन्स्पेक्टोरेट आपका ईमानदार होना चाहिए ।

तीसरी बात यह कही गई कि पब्लिक ओपीनियन को हम एजुकेट करें । ठीक बात है । मुझे याद है, दो-तीन कमेटी मैंने भी अटेंड की । एक तो मिटिजन्स कमेटी जिसमें नंदा जी थे, जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं इतने दिना में भ्रष्टाचार को खत्म कर दूँगा । वे उनके चेयरमैन हैं । मगर उनके वायदे का क्या हुआ ?

आखिरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो 22 डेथ्स हुई हैं, मैं उनको मानता हूँ मर्डर; उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाए उसके लिए मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन क्या उस फर्म के खिलाफ धारा 302 आई० पी० सी० के अंतर्गत मर्डर का केस रजिस्टर किया गया या नहीं किया गया ? श्रीमन्, ये तो बिल्कुल आपन मर्डर्स हैं । तो मैं ये बातें जानना चाहता हूँ । वे यह कह दें

कि आर्गनाइजेशन में कमी है, कानून में कमी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है । सारा सिस्टम आपका खराब है और मैं इस बात से इतिहास करता हूँ कि इस मामले को पार्टी से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को और हर संस्था को कोशिश करनी चाहिए । यह जो ईविल है समाज के अंदर, यह जो देशद्रोह है इसको समाप्त करना चाहिए ।

डा० कर्ण सिंह : महोदया, पहले मैं यह निवेदन कर दूँ कि कानपुर की जो घटना हुई उससे बहुत पहले इसके ऊपर हम विचार कर रहे थे । हमारी जो सेन्ट्रल कौंसिल आफ हेल्थ की मीटिंग हुई—सेन्ट्रल कौंसिल आफ हेल्थ में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होते हैं—उसमें विशेष कर हमने एक रिजल्यूशन एडाप्ट किया और उसमें पहले मैंने स्वयं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य के, उनको पत्र लिखा था । इसलिए यह नहीं है कि कानपुर की घटना के बाद ही हम जागे । लेकिन यह जरूर है कि कानपुर की घटना ने सारे देश को एक तरीके से जगा दिया, एक लहर पूरे देश में उठी इसके विरुद्ध ।

श्री ओमप्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : पार्लियामेंट डिस्पेंसरी की दवाओं को भी चेक कराओ ।

डा० कर्ण सिंह : वह तो सब देख रहे हैं । पोलिटिकल पैट्रोजेज का जहाँ तक मवाल है, यह जो घटना उन्होंने पुरानी बताई, उसके विषय में मेरे पास जानकारी नहीं है, जो राजस्थान के बारे में आपने बताया । लेकिन मैं तो केवल यह आश्वासन दिला सकता हूँ कि जहाँ तक हमारा संबंध है, कोई भी इसमें पोलिटिकल पैट्रोजेज का काम नहीं चलेगा । हम तो, जब भी कोई इस तरह का मामला हमारे सामने आएगा, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, कोई इस प्रकार का विचार कभी नहीं आएगा । सबसे बड़ा देश है और अगर देश नहीं रहेगा तो न कोई पोलिटिकल पार्टी रहेगी, न कोई व्यक्ति बच सकता है ।

इन्होंने कहा कि जो इन्स्पेक्टोरेट हैं वह ईमानदार होनी चाहिए । दुर्भाग्य मे जो रिक्लूटेड होता है उसमें यह ख़ाता नहीं होता कि मैं ईमानदार हूँ । वह ईमानदारी किस तरीके से जांची जाए यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । मैं बिल्कुल सहमत हूँ माननीय सदस्य से कि लोग ईमानदार होने चाहिए लेकिन वे ईमानदार लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे प्रत्येक राज्य में मैं नहीं जानता । मैं समझता हूँ कि हर कोई को बेईमान कहना भी मुनासिब नहीं है, ईमानदार लोग भी अवश्य हैं । अब किम प्रकार से ईमानदार लोगों को रिक्लूट करना चाहिए यह एक प्रश्न है, जिस पर माननीय सदस्य अधिक सोच सकते हैं ।

श्री नवल किशोर : मैंने तो सवाल पूछे थे । क्या 302 के अंतर्गत उस फर्म के खिलाफ कोई केस रजिस्टर

[श्री नवल किशोर]

किया गया ? एक सवाल मैंने यह पूछा था कि जब 10 साल की सजा है तो आपने इसी कानून के अन्दर कितने लोगों का कनविक्शन किया है ।

डा० कर्ण सिंह : जहां तक मेरी जानकारी है, 302 के तहत नहीं किया गया है, कुछ और लीगल एक्शन लिया जा रहा है ।

श्री श्रीमप्रकाश त्यागी : आज तक सजा हुई किसी को ?

डा० कर्ण सिंह : दो आदमी अरेस्ट हुए हैं ।

श्री नवल किशोर : पहले ।

डा० कर्ण सिंह : पहले का कुछ ब्यौरा मेरे पास है ।

SHRI BHUPESH GUPTA : I would request the hon. Minister to circulate the West Bengal Bill against adulteration which is under your consideration so that people will know something. They have provided for transportation for life.

DR. KARAN SINGH : I will be bringing an amendment to the prevention of Adulteration Act of our own here. मेरी जानकारी है कि 72-73 में केवल 24 प्रोसीक्यूशन्स लांच हुए ।

श्री नवल किशोर : सजा कितनों को मिली ?

डा० कर्ण सिंह : सजा हुई है—(Interruptions) Apart from fines and penalty there have been convictions for one day to 3 months, 2 years of rigorous imprisonment. दो वर्ष की भी हुई है तीन-चार वर्ष पहले ।

श्री रबी राय (उड़ीसा) : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनको यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् के जो सदस्य हैं वीरेन्द्र स्वरूप उनके ही सचिव ग्लूकोज बनाने वाली फर्म चलाते थे और वीरेन्द्र स्वरूप ने खुद अपने पैड पर लिखकर अपने सेक्रेटरी के लिए रिक्मेंड किया था । यह अखबारों में भी आया । अगर यह सही है तो मैं मंत्री महोदय से क्या जान सकूंगा कि वीरेन्द्र स्वरूप और उनके सेक्रेटरी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ?

डा० कर्ण सिंह : किसके विषय कह रहे हैं ?

श्री रबी राय : वीरेन्द्र स्वरूप के सेक्रेटरी जो ग्लूकोज बनाने वाली फर्म चलाते थे

डा० कर्ण सिंह : मेरे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री रबी राय : अगर वे नहीं जानते तो महोदय, मैं आपके जरिए उनको यह जानकारी देना चाहता हूँ ।

मैं चाहूंगा कि वे इसके बारे में जांच करे और कार्यवाही करें । वीरेन्द्र स्वरूप विधान परिषद् के सदस्य हैं, उन्होंने अपने सेक्रेटरी के लिए खुद अपने विधान परिषद् के पैड पर लिखकर रिक्मेंड किया और उनको लाइसेंस दिलाया ।

डा० कर्ण सिंह : उत्तर प्रदेश की सरकार इस केस को चला रही है । ऐसी जानकारी होगी तो जरूर उनको भेज दी जाएगी ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावत (राजस्थान) : महोदय, ऐसे केसेज लम्बे समय से बराबर आ रहे हैं । मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि सरकार को इस मामले में जो ध्यान देना चाहिए था वह उसने नहीं दिया, इन शिकायतों को वह बराबर इग्नोर करती रही है । इस मामले को लेकर मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन सीधे प्रश्न पूछना चाहूंगी । पिछले मानसून सेशन में मैंने एक इस तरह का प्रस्ताव रखा था । उसमें मैंने कैटेगोरीकली एक फर्म का नाम दिया । उसके लिए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि उसकी जांच करके उसके बारे में बताया जाएगा । मैंने कहा था कि बम्बई के पास उल्हासनगर सिन्धी एसोसिएशन बना हुआ है जो इस प्रकार की नकली दवाइया बनाता है और उनके ऊपर लेबल लगाता है मेड इन यू० एस० ए० लोगों को भ्रम में डालने के लिए कि यू० एस० ए० में बनी हुई है । यू० से उल्हासनगर, एस० फार सिन्धी, और ए० फार एसोसिएशन । मैं जानना चाहूंगी कि मानसून सेशन को देखते हुए इतना लम्बा समय हो गया, गवर्नमेंट की ओर से सदन में आश्वासन दिया गया था कि उसको देखेंगे, उस पर क्या हुआ यह आप सदन को बताइये ।

आपने कहा कि इस तरह का लेजिस्लेशन ला रहे हैं । उसका मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप शायद इस सेशन में ला सकें, हालांकि मुझे उम्मीद कम है, लेकिन आशा करती हूँ इसके साथ ही यह भी कहना चाहती हूँ कि आप चाहें जैसा लेजिस्लेशन लाये, उसका इंप्लीमेंटेशन होता है कि नहीं ? पहले से सजा 10 साल की कानून में रखी गई है, लेकिन आपने अभी स्वीकार किया कि इतने केसेज होने पर भी एक भी व्यक्ति को 10 साल की सजा दी नहीं गई है । अभी जो कानपुर का केस आया है, उसके लिए हमारा दिमाग में पूरी आशंका है कि उन लोगों का सजा मिलेगी या नहीं । चाहे वह रिक्वैर देकर छूट जाये, चाहे बड़े लोगों की सिफारिशों पर छूट जाये या आपकी अदालतों के लम्बे तौर तरीके से उनमें 5 साल खत्म कर दें, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन लोगों को सजा देने के लिए आप एक स्पेशल कोर्ट मुकर्रर करने की बात मानेंगे ताकि एक टाइम लिमिट के अन्दर उनको सजा दें ।

तीसरी बात आपने कही कि आपके पास इस्पेक्टर्स नहीं है, लेबोरेट्रीज नहीं है, ड्रग की जांच नहीं हो सकती है। माना, आपके पास कमी है, लेकिन मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 5,10 केसेज की जांच करने के लिए भी आपके पास ईमानदार इस्पेक्टर नहीं हैं? क्या सारे मुल्क में ऐसी एक भी लेबोरेट्री नहीं है कि जहाँ 5, 7 चीजों की जांच करके आपके पास रिपोर्ट पेश करे आप ऐक्जम्लरी तौर के ऊपर 10,20 लोगों को सजा दे सकें, क्या इतना भी ऐडमिनिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है? मुझे अफसोस है। अभी राजस्थान सरकार ने कुछ कदम उठाये थे। उसके बारे में भी दवा वालों ने हड़ताल की थी। मैं जानना चाहती हूँ कि जो पूरी पूरी मानवीय बात से ओतप्रोत है क्या इस मानवीय दृष्टिकोण को रखकर आप इस बात पर 100,50 आदमियों को महीने दो महीने की सजा दिला सकेंगे या नहीं?

चौथी बात मैं यह पूछना चाहती हूँ कि दवाओं की कीमते दो गुनी, चार गुनी, पाच गुनी हो गई है। आपने खुद मजूर किया कि सब-स्टैंडर्ड होती है तो दवाइयों में कुछ ज्यादा फायदा पहुँच जाता है दवा मालिकों को। तो क्या ये जो फारमेसियुटिकल कारखाने हैं उनको सरकार अपने हाथ में लेकर शुद्ध दवाइयाँ दे सकने का इतजाम करेगी और वाजिब कीमत लेगी, इसका मुझे मेहरबानी करके जवाब दें।

डा० कर्ण सिंह : पहले तो जो माननीय सदस्या ने उल्हासनगर सिन्धी एसोसियेशन के विषय में बताया, मेरे पास इस समय इसकी जानकारी नहीं है। मैं दिखवा लूँगा कि क्या आश्वासन दिया गया था, न भी हो तो उसके बारे में जानकारी उनको होगी, इसके विषय में पता लूँगा कि क्या स्थिति है।

दूसरी बात इन्फ्लिमेंटेशन की इन्होंने ठीक कही। लेकिन दो तीन महीने में सजा होगी या नहीं यह कहना मुश्किल है। हमारे जो प्रोसीजर्स हैं कोर्ट के उन्हीं के तहत कैसे चलता है। स्पेशल कोर्ट बनाने का इस समय तो कोई विचार नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि प्रोसीजर बहुत लम्बा हो जाता है और उसके विषय में भी क्या किया जाना चाहिए यह प्रश्न है। इन्फ्लिमेंटेशन अधिकतर राज्य सरकारों का दायित्व है। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, सीधा सम्बन्ध उनका है। हम अपनी ओर से भी उनको मदद करते हैं जब भी आवश्यकता होती है। जहाँ तक जांच करने का सवाल है लेबोरेट्रीज और इस्पेक्टर्स का हम अपनी ओर से भी बढ़ा रहे हैं और राज्य सरकारों को भी कह रहे हैं कि वह भी बढ़ाये।

जहाँ तक कीमतों का सवाल है, महोदया, यह भी एक पेचीदा प्रश्न है। अभी आपको पता होगा कि कीमतें बढ़ी हैं ड्रग की। पेट्रोलियम और कैमिकल्स मिनिस्ट्री का इसमें दायित्व है। वह कहते हैं कि मैन्यूफैक्चरर्स के

जो इनपुट्स हैं उनकी कीमत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यह प्रश्न जरूर है कि हम जो वास्तव्य सेवाये करीबों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उनके लिए जब तक हमें छोटी कीमतों पर ड्रग नहीं मिलेंगे, तब तक हम उसमें सफल नहीं हो सकते। लेकिन कास्ट आफ प्रोडक्शन हर 1 P. M. तरीके से बढ़ रहा है। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे हम और पेट्रोलियम मंत्रालय आपस में देख रहे हैं और इस दिशा में जो सभव होगा उसके लिए यत्न करेंगे।

SHRI MONORANJAN ROY (West Bengal) : We are concerned with human life. Everything is going up in value except human life.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्हें यह मालूम है कि नहीं कि एक साल पहले लखनऊ मेडिकल कालेज में एक मरीज को आक्सीजन दिया गया और आक्सिजन देते ही वह मर गया। जांच की गयी तो मालूम हुआ कि आक्सीजन के सिलेंडर में कार्बन डाई आक्साइड था। एक साल हो गया इस की रिपोर्ट हुए लेकिन आज तक उस मामले की जांच फाइनेलाइज नहीं हुई। यह जाहिर करना है कि आप का विभाग या तो घूसखोरों से भरा हुआ है या बेईमानों से भरा हुआ है। आक्सीजन के बदले में कार्बन डाई आक्साइड दी जाए, इस से ज्यादा क्रिमिनल ऐक्ट और क्या हो सकता है, और श्रीमान्, मंत्री महोदय जानते हैं कि जिस फर्म द्वारा यह कांड हुआ है कानपुर में उस में है एक श्रीमती गार्गी कपूर। आज से दो साल पहले उन के फर्म ने इसी तरीके की स्पूरियस ड्रग सप्लाय की थी और उस के कारण उन का लाइसेंस कैसिल हो गया था। लाइसेंस कैसिल होने के बाद उन्होंने दूसरा फर्म बना कर, नाम बदल कर फिर लाइसेंस ले लिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें ठीक हो जायें और दूसरी ओर एक फर्म का लाइसेंस कैसिल होते ही उस को दूसरे नाम से लाइसेंस मिल जाता है। इस से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो अफसर यह काम कर रहे हैं वह बेईमान और घूसखोर हैं। आप इस को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। आप जो यह बहाना बनाना चाहते हैं कि यह तो स्टेट सब्जेक्ट है, यह कह कर ही आप नहीं बच सकते। आपको कानून में तरसीम करनी होगी। आप को भी इस बात का अधिकार है। आप इंडियन पेनल कोड के ग्रंथ इस मामले को हल कर सकते हैं कि जो लोग इस तरह की स्पूरियस ड्रग बनायेंगे उन को किस तरह से पकड़ा किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस वक्त भी कोई इम्मीडियेट एक ऐक्शन लेने के लिए तैयार हैं या नहीं ताकि इस तरह की घटनाएँ दुबारा न हो सकें?

डा० कर्ण सिंह लखनऊ मेडिकल कालेज वाला जो मामला है उस के बारे में तो मैं प्रदेश की सरकार से पता करूंगा कि उन्होंने क्या किया है। आक्मीजन वाली बात जो आपने कही थी, वह मेडिकल कालेज उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आता है। जहां तक यह प्रश्न है कि किसी फर्म ने अपना नाम बदल कर फिर लाइसेंस हासिल किया, यह ऐसी आश्चर्यजनक बात है कि जिस पर ताज्जुब होता है और जो फर्म के लोग अरेस्ट हुए हैं उन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो रही है। हमें आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस ढंग से कार्यवाही की है, वैसी ही कार्यवाही वह इस तरह के मामलों में आगे भी करेगी और मैं वहां के मुख्य मंत्री से सबध बनाये रख कर उन पर यही जोर दे रहा हूँ कि आपको यह मौका मिला है, इसलिए उन लोगों को डिटरेंट पनिशमेंट दिया जाय ताकि बाकी के लोग डर जाय।

श्री भैरो सिंह शेखावत (मध्य प्रदेश) : महोदय, देश में लगभग 60 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिन की आय मिनिसम लेवल आफ कंजम्प्शन से नीची है। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या उन व्यक्तियों के लिए सरकार सस्ते दामों पर आवश्यक दवायें उपलब्ध करायेगी और क्या वह इस की व्यवस्था करा सकेगी? इस व्यवस्था के अभाव में महोदय, मैं मानता हूँ कि चाहे कितने ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप करे या कितने ही लेजिस्लेटिव प्रबंध करें, लेकिन जिन लोगों को सस्ती दवायें बनाना ही उन की आमदनी का साधन होता है वह बनायेगे और गरीब लोग उन के मुकाबले महंगी दवायें खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में एडल्ट्रेशन बढ़ेगा, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स का मार्केट फ्लोरिश करता चलेगा। तो इस को कैसे बदल दिया जा सकता है, जब तक इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार नहीं किया जायगा, तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव ऐक्शन का प्रभाव होगा, लेकिन आप इस बुराई को मूलतः समाप्त नहीं कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा वह यह है कि अभी मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिये और यह बताया कि कुछ लोगों को एक दिन से ले कर तीन महीने तक की सजा हुई है, लेकिन ड्रग ऐक्ट की धारा 23 में लिखा है, जो मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूँ :

“Whoever himself or by any other person on his behalf manufactures for sale, sells, stocks or exhibits for sale or distributes—

(a) any drug—

(i) deemed to be misbranded under clause (a) clause (b), clause (c), clause (d), clause (f) or clause (g) of section 17 or adulterated under section 17B; or

(ii) without a valid licence as required under clause (c) of section 18;

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to ten years and shall also be liable to fine : ”

अब क्वेश्चन यह आकर खड़ा होता है ...

डा० कर्ण सिंह : आगे पढ़िए।

SHRI B. S. SHEKHAWAT :

“Provided that the Court may, for any special reasons to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year ;”

मैं ऐसा समझता हूँ कोई स्पेशल प्राविजन रखा है। आमतौर पर इसका लागू किया जाए। कोर्ट इस प्राविजन पर प्रोटैक्शन कलैप्स को दे यह मशा लेजिस्लेशन की कभी नहीं हो सकती। क्या सरकार ने इस स्टेटमेंट पर जो माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, कभी विचार किया है। जिन लोगों को कम सजाएँ मिली हैं क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने कोई अपील की है? अगर सरकार ने अपील नहीं की तो माफ करे मंत्री महोदय, यह कहने की गुंजाइश बनती है कि सरकार ने भी एडल्ट्रेटेड दवाएँ बेच कर उन लोगों की हत्याएँ की हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कानून सरकार बनाती है, उन कानूनों का जब तक सरकार स्वयं ही ईमानदारी से पालन करने के लिए तैयार नहीं होगी तो अधिकारी वर्ग जो छोटे तबके के होते हैं, वे इसका पालन करने की स्थिति में कैसे आयेगे? ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले के अन्दर विचार करे।

दूसरा प्रश्न स्वयं मंत्री महोदय ने रखा है कि पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ने दवाओं की कीमत बढ़ाई है। महोदय, उन सारी दवाओं की लिस्ट यदि आप देखें तो आप पाएंगी कि उनमें अधिकांश दवाएँ इस प्रकार की हैं जो कि गरीब लोगों के काम आती हैं। माननीय मंत्री महोदय की बात से मैं अहसास करता हूँ कि वह मन से नहीं चाहते कि दवाओं का मूल्य बढ़े। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह स्वयं अपने मंत्री स्तर पर और अपने विभाग की तरफ से पैट्रोलियम मिनिस्ट्री को यह लिख कर दें या उनसे रिक्वेस्ट करें कि गरीबों के लिए जो दवाएँ मिल सकती हैं, दी जा सकती हैं, कम से कम उनकी किसी भी हालत के अन्दर कीमत नहीं बढ़ाई जाए। यह गम्भीर विषय है और यह आज के बाद किसी भी समय इस सदन के अन्दर आएगा। लेकिन इस प्रश्न के ऊपर मंत्री महोदय के डेफिनेट कामेन्ट्स क्या हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ।

डा० कर्ण सिंह : दोनों प्रश्न एक प्रकार से मिले हुए हैं। जहां तक बहुत कम आय के लोगों के लिए दवाओं का प्रश्न है उन लोगों को निःशुल्क दवाएँ मिलती हैं और मिलनी चाहिए। हम ने इस योजना में प्रणाली बनाई

है कि प्राइमरी हेल्थ सैन्टर्स और सब-सेन्टर्स में फ्री दवाएं मिला करें। 12 हजार का प्राविजन प्राइमरी हेल्थ सैन्टर्स के लिए और दो हजार का सब-सेन्टर्स के लिए किया है और जो शहरों में अस्पताल होते हैं गवर्नमेन्ट स्तर पर उनमें तो फ्री दवाएं मिलती ही हैं। माननीय सदस्य ने जो बात कही बिलकुल ही कम ग्रामदनी वाले लोगों के लिए तो मैंने यह बताया कि वे तमाम दवाओं के लिए पैसा खर्च करने में असमर्थ हैं। उनको तमाम दवाएं, जहां तक संभव हो सके, निःशुल्क मिलनी चाहिए।

तीसरा प्रश्न इनका बिलकुल ठीक है कि जहां तक संभव हो सके दवाओं की कीमत कम रखी जाए। लेकिन मैंने यह भी कहा कि दवाओं की कीमत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और जो मैंने पैटोलियम मिनिस्ट्री का नाम लिया था तो उसमें यह नहीं कि उन्होंने हमारे से विचार-विमर्श नहीं किया। हम तो अपनी तरफ से यह प्रयत्न करते हैं कि जितनी कम कीमत रहे उतना ही अच्छा है। हमारा जो बजट प्राविजन है अस्पतालों के लिए वह कम पड़ जाता है, दवाएं कम हो जाती हैं, अगर हम ऐसा न करें। लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हमें देखनी होती हैं, जैसा उन्होंने कहा अलग प्रश्न आ सकता है। मेरे साथी जो हैं, बरखा जी, उनका उत्तर देगे कि क्या-क्या तथ्य है, क्या-क्या इन्पुट्स की कीमतें बढ़ी हैं। हमें दिखाया गया कि बहुत सारे जो इन्पुट्स हैं वे 700—800 परसेन्ट कीमतों में बढ़ गए हैं। तो यह बड़ा पेचीदा मामला है। हमारा जनरल नीति है कि जहां तक संभव हो सके, कीमतें कम हो, लेकिन वे कीमतें कम रह सकती हैं या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्या हैं, रा मैटीरियल की कीमत क्या है, लबर की कीमत क्या है, मशीनरी की कीमत क्या है और फाइनल प्रोडक्ट की कीमत क्या हो ये सब बातें जब तक नहीं देखी जाएंगी तब तक इन टाउम में कहना कठिन है। जैसा मैंने कहा, मैंने बड़ी मफायी में स्वीकार किया, इस समय जो हमारे आकड़े हैं 1972-73 के, इस समय तक जो ऐक्ट के तहत मजाएं दी गईं और जो कार्यवाही की गई, यह सतोषजनक नहीं है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं, एक तो अमेडमेंट ले आए हैं, लेकिन आपने बिलकुल ठीक कहा कि इस ऐक्ट के तहत भी बहुत कुछ और हो सकता है, जिसके विषय में मैंने सारी स्टेट गवर्नमेन्ट्स को मोबिलाइज किया है, अपने आर्गेनाइजेशन को भी मैं मोबिलाइज कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ बहुत जल्द इसी वर्ष में या आते वर्ष के अन्दर आप क्लियर फर्क देखेंगे।

श्री भेंरो सिंह शोखावत : मैं एक ही प्वाइन्ट अर्ज करना चाहता हूँ कि सारे हास्पिटल्स में, आल इंडिया एवरेज की बर्तमान पर, 3 परसेन्ट दवाओं पर खर्चा होता है और 97 परसेन्ट इस्टेब्लिशमेंट के उपर खर्चा होता है। तो क्या आप 3 परसेन्ट से 7 परसेन्ट, जो मिनिमम लेवल आफ कन्जम्प्शन वाली आय के लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): No, you are going off the point. Now, Mr. Advani, special mention.

डा० कर्ण सिंह : इसका विवरण मेरे पास है नहीं।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मिर्फ एक प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन मैं उठा रहा हूँ। मैं इन्फार्मेशन में यह जानना चाहता हूँ क्या माननीय मंत्री जी इस त को अच्छी तरह जान रहे हैं :—

“मृत्यापराधे सर्वत्र स्वामीनां दण्डः”

मृत्यु के अपराध के लिए हर जगह स्वामी को दण्ड होना चाहिए। जनतंत्र की यही साधु परंपरा है। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ये जो इस फर्म के मालिक हैं, पहले ये दूसरी फर्म से दवा बनाते थे, वह फर्म रिजेक्ट हो गई तो फिर नाम बदल दिया। ड्रग इन्स्पेक्टर ने इस दूसरे बदले हुए फर्म को भी लिखा कि उनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, मगर जो कंट्रोलर है ड्रग्स का उसने एक दूसरे इन्स्पेक्टर से रपट लिखवा कर फिर उसका लाइसेंस वीरेन्द्र स्वरूप के कहने से ज़ोरदार मिफारिश करके दे दिया। तो क्या यह फिट केस नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस्तीफा दे दे, क्योंकि सभी गरीब आदमी हैं जो मरे हैं, कोई बड़ा आदमी होना तो उसका नाम—जल्द अखबारों में छूता। लेकिन चूंकि वे गरीब मरे हैं, इसलिए उनका नाम अखबारों में नहीं छूता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Mr. Rajnaram and other Members, if you have any information about anything, you can just hand it over to the Minister. It will help him in investigation. It is no use going on repeating it here.

श्री राजनारायण : माननीया, समदीय प्रथा में प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन के लिए मैं जानना चाहता हूँ इस विषय पर मंत्री जी ने क्या किया ?

डा० कर्ण सिंह : महोदया, मैं केवल यही कहूंगा कि जो 3 आफिसर हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, फार्मर अमिस्टेट ड्रग कंट्रोलर और सोनियर ड्रग इन्स्पेक्टर, तीनों के तीनों को यू० पी० गवर्नमेन्ट ने सस्पेंड कर दिया।

श्री राजनारायण : अरे भाई वीरेन्द्र स्वरूप को बान कहां।

डा० कर्ण सिंह : वीरेन्द्र स्वरूप के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। मैं उनके विषय में नहीं बह मकाना हूँ।

डा० जंड० ए० अहमद : महोदया, ये जो हत्याएं हुई हैं, इन्होंने हमारी और सारे देश की आंखें खोल दी हैं।

[डा० जैड० ए० अहमद]

सरकार की कितनी खुली है, नौकरशाही की कितनी खुली हैं हम जानते हैं। लेकिन आपकी आंख खुली हुई मालूम होती है। अब कितनी हत्याएं इससे पहले हो चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं— क्योंकि यह कहना कि सिर्फ पेनिसिलीन में ही गड़बड़ है, बाकी किसी चीज में गड़बड़ नहीं है।

डा० कर्ण सिंह : पेनिसिलीन नहीं ग्लूकोज।

डा० जैड० ए० अहमद : पेनिसिलीन के कम में भी हत्याएं हुई हैं और मालूम नहीं कितनों में हो रही है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि आप हाई पावर आल इंडिया कमेटी भुकरें करे।

महोदया, मैं कहना चाहता हू कि अब काम नहीं चलेगा, लोगो में विश्वास पैदा नहीं होगा, अगर आप पुरानी कमेटियों में काम करवाएंगे जो अफसरो से भरी हुई है या आप मिनिस्ट्रो को, चीफ मिनिस्ट्रो को बुलवा कर कह दें कि यह करो। यह मामला अब सारी दुनिया के सामने आ चुका है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसों ने इसको अपने हाथ में लिया है और अब इस बात की पूरी जरूरत है— इससे इंकार नहीं किया जा सकता — कि एक हाई पावर आल इंडिया कमेटी बनाई जाए जो इसकी जांच करे। यह बात मैं साफ तौर से कहना चाहता हू कि अगर आप यह नहीं करेंगे तो विश्वास पैदा नहीं होगा, चाहे आप दूसरी सी कमेटियों में काम करवाना चाहे।

कुछ प्रिंसिपिल्स को देखना पड़ेगा। आप टेडर मांगते हैं। यह एक गोरख-धन्धा बन गया है। दवा के मामले में जो सबसे कम टेडर देगा तो वह सबसे रही दवा देगा। इस उसूल को हम छोड़ देना चाहिए। आज क्या-क्या चीजे हो रही है। इसके अन्दर इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट घुसा हुआ है। उनका भी रिश्तत में हिस्सा है, उनकी घूमखोरी चलती है। उनका ओवर-राइडिंग वोटो चलता है। इन सारी चीजों की जांच का काम आप पुरानी कमेटियों को न दें। अब तो अजसरेनो डूग इन्डस्ट्री को देखना पड़ेगा, पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ेगा, नए नियम बनाने पड़ेंगे। इसलिए आल इंडिया कमेटी की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि यह सजेशन जो पूरे हाउस की तरफ से आ रहा है, इधर से भी और उधर से भी, इसको आप कबूल करें।

डा० कर्ण सिंह : महोदया यह मुझाव वास्तव में विचारणीय है।

REFERENCE TO NEWSPAPER REPORTS ABOUT NEXT PRESIDENTIAL ELECTION

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi): Madam, I would like to draw the attention of the House to a serious constitutional predicament that has arisen lately. This morning's newspapers mentioned that the Presidential election will be held as per schedule in August. A few days

back it was reported in the press that the Presidential elections are likely to be postponed and the present incumbent may be given an extension of one year. I think that both the reports raise serious questions. I am of the view that the Presidential election, if it is postponed, would be violation of a specific mandatory provision of the Constitution. And at the same time I am of the view that if the Presidential election—as it is reported in today's press—is going to be held as per schedule in August even though the Gujarat Assembly may not be in existence by then, that would be even a more serious violation of the Constitution. Both ways the Constitution would be violated. My view is that this is a matter in which the Government should not allow the press to speculate; this is a matter in which the Government should take Parliament into confidence as to what its own thinking is. I wish the Law Minister were here to tell the House. Even now I hope the Minister of Parliamentary Affairs will convey to the Law Minister this view of ours and make him come to the House and explain the position. The relevant provisions of the Constitution are well known: Articles 54, 55 and 56 which deal with the election of the President. I feel that there is no scope for election of the President if the electoral college which is entitled to elect the President is not complete, and if the Gujarat Assembly elections are not held, the electoral college is incomplete. And if the President of India is elected in August without the Gujarat Assembly having been duly constituted, it will mean that the people of Gujarat will be denied the opportunity of having their voice in the election of the President and, therefore the election would be held as invalid subsequently. This is my fear. After all the electoral college has been allotted votes of different value according to the strength. Last time I recall that Mr. Giri, when he was elected the President, had a margin of about 14,650 votes or that was the value of the votes with which he had won. And the Assembly of Gujarat by itself has an electoral value of more than 20,000 units. So, it would be improper and it would be a breach of article 54(b) of the Constitution if Presidential election is held without Gujarat Assembly participating in it. Article 54 says :

The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—

(a) the elected members of both Houses of Parliament; and